न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
13/2019	111, 128 LRA	28.05.2019	28.06.2019

मुश्ताकखां पुत्र स्व0 अहमदअलीखां जाति कायमखानी निवासी पीथीसर तहसील जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. श्रीमती बतूलबानो पत्नी स्व.यासीनखां
2. अलताफ खां पुत्र स्व. यासीनखां
3. बलूखां पुत्र अहमदअलीखां

जाति कायमखानी निवासी पीथीसर तहसील जिला चूरू (राज.)

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री हसन खां प्रार्थी

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 551 तादादी 3.2248 हैक्टेयर व खसरा संख्या 660/586/550 तादादी 2.4029 हैक्टेयर कुल तादादी 5.6277 हैक्टेयर वाके रोही पीथीसर तहसील जिला चूरू प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 तथा अन्य की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि रही है जिसका बाहमी बंटवारा प्रार्थी अप्रार्थीगण व अन्य भाईयों के मध्य काफी वर्ष पूर्व किया जा चुका था जिसके मुताबिक सभी अपने–अपने हिस्सा पांती पर काबिज काश्त चले आये। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 वा 2 द्वारा अपनी सम्पूर्ण हिस्सा कृषि भूमि को अलग–अलग समय पर विक्रय कर दी गई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारों के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, चूरू द्वारा जरिये दावा खाता विभाजन किया गया जिसमें प्रार्थी के हिस्सा में सदामत से कब्जा काश्त व पूर्व में किये गये बाहमी बंटवारा के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 551 में से 0.8346 हैक्टेयर आयी जिसकी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तरमीम की जाकर नये खसरा संख्या 1243/551 कायम किये गये। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण की हिस्सा कृषि भूमि के मूल खसरे 551 व 660/586/550 टूटकर 1244/551 व 660/586 तादादी क्रमशः 2.3902 हैक्टेयर व 2.4029 हैक्टेयर कुल तादादी 4.7931 हैक्टेयर हुए जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि खाता विभाजन के पश्चात् प्रार्थी द्वारा अपने हिस्सा कृषि भूमि कायम नये खसरा संख्या 1243/551 तादादी 0.8346 हैक्टेयर की नियमानुसार फीस अदा की जाकर हल्का पटवारी से नपती करवायी जाकर दिनांक 09.05.2019 को निशानदेही ली गई जो प्रार्थी के सदामत से चले आ रहे कब्जा काश्त के मुताबिक थी। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि पर की जाने वाली काश्त की आवारा पशुओं से सुरक्षा करने के लिये कृषि भूमि के चारों तरफ की पुख्ता सींव में लोहे के एंगल लगाकर तारबन्दी करने के लिये एंगल व तार अपनी कृषि भूमि में दिनांक 21.05.2019 को लगाने के मजदूर लेकर गया तो अप्रार्थी सं. 1 ता 2 ने लगाने नहीं दिये तथा पुख्ता सींव को काटकर नई सींव कायम करना चाहते हैं। जिसका विरोध प्रार्थी द्वारा किया गया तो कहा कि उक्त भूमि हमारी खातेदारी में है। इसलिए यह विविध प्रार्थना पत्र श्रीमान् अदालत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा ज्ञान व पत्थरगढी करवायी जाये जिससे प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद समाप्त हो सके। यह कि प्रार्थी का खाता विभाजन हुआ तो प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान करवाया गया तब सींव सही स्थिति में थी मगर बाद में अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के मन में लोभ व लालच आ गया और उसने प्रार्थी की सींव को काट कर छिन्न भिन्न कर दी और प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमा ज्ञान व पत्थरगढी उक्त अपना हिस्सा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1243/551 तादादी 0.8646 हैक्टेयर की करवाई जावे। इसलिए यह विविध प्रार्थना पत्र अदालतवाला में पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थी एक शान्तिप्रिय व्यक्ति है जिसका कृषि भूमि का विभाजन हो चुका है मगर मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच सींव व सीमा नष्ट व जर-जर हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि उक्त अपना हिस्सा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1243/551 तादादी 0.8646 हैक्टेयर रोही ग्राम पीथीसर तह0 जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढी) लगाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढी) करवाना चाहता है जिससे भविष्य में आस-पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान सम्बन्धित विवाद ना रहे।

यह कि प्रार्थना पत्र की तमाम प्रकिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थी बनाया गया है। यह कि प्रार्थी पत्थरगढी व सीमा ज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जायेगी। यह कि विवादित कृषि भूमि ग्राम पीथीसर तहसील जिला चूरू में स्थित है जो श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। अतः श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे एवं खेत खसरा संख्या 1243/551 तादादी 0.8646 हैक्टेयर रोही ग्राम पीथीसर तह0 जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढी) करवाई जावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 की तामील पर तामील कुनिन्दा द्वारा अंकित किया पाया कि सम्मन लेने से इन्कार किया। साथ ही तामील पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी अंकित होने से अप्रार्थी सं. 1 से 3 पर तामील विधिवत होना मानी जाकर न्यायालय समय में बार बार आवाजे लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। सभी अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय कार्यवाही होने के उपरान्त वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वकील प्रार्थी ने अपनी एकपक्षीय बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने अपने अपने खेतों का विभाजन तो करवा लिया मगर अपने अपने हिस्से में आई भूमि का मौके पर सही सीमांकन नहीं करवाया है। प्रार्थी ने तहसीलदार, चूरू के माध्यम से पटवारी हल्का से सीमा ज्ञान कर तारबन्दी करनी चाही तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया तथा मौके पर सींव को नष्ट कर दिया जो अब जर्जर हालत में है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सींव को लेकर झगड़े होते रहते हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के पड़ौसियों से सीमा सम्बन्धी विवाद सदैव के लिये समाप्त करने एवं आवारा पशुओं से अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अदालतवाला के समक्ष लेकर आया है जिसमें सभी अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करें।

पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम पीथीसर के ख.नं. 551, 660/586 कुल तादादी 5.6277 हैक्टेयर में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 के साथ अन्य सह खातेदार दर्ज हैं। नकल नक्शा वादगत कृषि भूमि का है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम पीथीसर के नया खाता संख्या 528 ख.नं. 1243/660 तादादी 0.8346 हैक्टेयर में प्रार्थी अकेला एकमात्र खातेदार दर्ज हैं। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम पीथीसर के नया खाता संख्या 108 पुराना खाता सं. 182 ख.नं. 1244/660, 660/586 कुल तादादी 4.7931 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के साथ कतिपय अन्य सह खातेदार दर्ज हैं। प्रमाणित नकल अक्स ग्राम पीथीसर के ख.नं. 1243/551 जो वादगत कृषि भूमि का नक्शा है। छाया प्रति पत्र कमांक भू–अ./19/1204 दिनांक 05.04.19 जो तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रार्थी के खेत का सीमाज्ञान करवाने का आदेश पटवारी हल्का पीथीसर को दिया गया है तथा उक्त पत्र की पुश्त पर अंकित फर्द मौका दिनांक 09.05.2019 में पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया गया है कि "ग्राम पीथीसर की रोही में खसरा नं. 1243/551 पर सीमा ज्ञान करवाने पहुंचा मौके पर आवेदन कर्ता व पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी में जरीब चलाकर खसरा संख्या 1243/551 का सीमा ज्ञान करवा कर फर्द मौका बनाकर व मौके पर उपस्थित काश्तकारों को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर लिए।" उक्त फर्द मौका पर पटवारी हल्का पीथीसर व प्रार्थी के साथ अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 के साथ अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की रही है जो पूर्व में एक ही परिवार के सदस्य थे। बाद में इन्होंने अपने अपने खातों का विभाजन तो करवा लिया मगर मौके पर अपने अपने हिस्से के अनुसार सीमाज्ञान नहीं करवाया तथा अन्दाजन ही अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि काश्त करते रहे। प्रार्थी अपने खेत के सीमा ज्ञान कर चुका है परन्तु अप्रार्थीगण ने सींव को नष्ट कर विवाद करना शुरू कर दिया है। इसलिए उक्त सीमा विवाद के स्थाई समाधान एवं आवारा पशुओं से अपने खेत की सुरक्षा करने हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें उसने पड़ौसी खातेदारों को अप्रार्थी सं. 1 से 3 के रूप में पक्षकार बनाया है। अप्रार्थीगण ना तो उपस्थित आये हैं तथा ना ही प्रार्थना पत्र के विरोध में कोई आपत्ति पेश की है जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी इस वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से अपनी कृषि भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू रोही ग्राम पीथीसर तहसील चूरू में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा ख.नं. 1243/660 तादादी 0.8346 हैक्टेयर भूमि की नपती एवं सीमाज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढ़ी करावें।

आदेश आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू